न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 4/2016

1. कालू पुत्र बाल्या
2. कन्हैया पुत्र बाल्या
3. कैलाश (मृतक के बजाय) पुत्र बाल्या
   3/1 गुलाब देवी पत्नि कैलाश
   3/2 कंवल पुत्र कैलाश
   3/3 पूजा पुत्री कैलाश
   3/4 पायल पुत्री कैलाश
   समस्त जाति बैरवा निवासी मटवास तहसील लवाण जिला दौसा
   3/5 मनीषा पुत्री कैलाश पत्नि विनोद बलाई निवासी भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा

....अपीलान्ट्स

बनाम

1. लाडो पत्नि कल्याण सिंह
2. रामकिशन पुत्र कल्याण सिंह
3. सतीश पुत्र कल्याण सिंह
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र कल्याण सिंह
5. उर्मिला पुत्री कल्याण सिंह
6. बीना पत्नि मनोहरलाल
7. नितिन नाबालिग पुत्र मनोहरलाल
8. पूनम नाबालिग पुत्री मनोहरलाल
9. प्रिया नाबालिग पुत्री मनोहरलाल
10. भारती नाबालिग पुत्री मनोहरलाल
11. अंजली नाबालिग पुत्री मनोहरलाल
    नाबालिग 7 लगा.11 जरिये वली माता बीना देवी
12. हीरालाल पुत्र मूल्या
13. नानगी पत्नि मोतीलाल
14. राजेन्द्र पुत्र मोतीलाल
15. नीरज पुत्र मोतीलाल
16. लक्ष्मी पुत्री मोतीलाल
17. कान्ता पुत्री मोतीलाल
18. सोनिया पुत्री मोतीलाल
    समस्त जाति बलाई (बैरवा) निवासी नामान्तरण में बताये अनुसार मटवास तहसील लवाण
19. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

... रेस्पों0

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:42 IST
Reason: SelfAttested.

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लवाण दिनांक [illegible]15 जो नामान्तरण संख्या 321 ग्राम मटवास तहसील नांगल राजावतान पर[illegible] के

उपस्थित– 1. श्री विनोद विजय, रामावतार बैरवा, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री रामकेश बैरवा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 से 15 (अनुप[illegible]
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 4.3.2026

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार लवाण द्वारा ग्राम मटवास के पारित नामान्तरण सं0 321 दिनांक 29.7.2015 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम मटवास तहसील लवाण में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 779 से 787, 842 से 846, 880 से 882, 884, 886, 887, 892 कुल किता 21 रकबा 7.14है. बाबत अपीलांट व कुछ रेस्पों0 व अन्य के मध्य एक वाद अधिघोषणा, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर दौसा की अदालत में कालू बनाम भगवान्या चल रहा है। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की रेस्पों0 को पूर्ण जानकारी है तथा उक्त वाद में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण स्वयं पक्षकार है। उक्त वाद में मूल्या पुत्र श्योनारायण के नाम जो हिस्सा दर्ज हो रहा है उसे विवादित बताते हुए और गलत इन्द्राज होना बताते हुए चैलेन्ज कर रखा है और यह भी सत्य है कि मूल्या पुत्र श्योनारायण नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मटवास में कभी नहीं रहा है ना ही वोटर लिस्ट में नाम है, ना ही कोई राशन कार्ड आदि है, इसके बावजूद भी उक्त मूल्या पुत्र श्योनारायण का उक्त भूमि में गलत नाम जोड रखा है। उक्त मूल्या पुत्र श्योनारायण नाम का व्यक्ति ग्राम मटवास में रहने वाला कोई भी नहीं होने के बावजूद भी तथा रेस्पों0 नं0 1 से 18 ग्राम मटवास के रहने वाले नहीं होने के बावजूद भी तथा रेस्पों0 नं0 1 से 18 मूल्या पुत्र श्योनारायण के वारिस नहीं होने के बावजूद भी बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जांच किये पटवारी हल्का ने अपीलांट के कुछ विरोधी लोगों से मिलकर और गलत तरीके से मूल्या पुत्र श्योनारायण को मटवास का रहने वाला बताकर और रेस्पों0 नं0 1 से 18 को मटवास में नहीं रहने के बावजूद भी मटवास का रहने वाला बताकर बिना कोई जॉच किये बिना उक्त भूमि का मूल्या पुत्र श्योनारायण के स्थान पर रेस्पों0 नं0 1 से 18 के नाम नामान्तरण सं0 321 ग्राम मटवास पटवारी हल्का ने भरकर और तस्दीक हेतु तहसीलदार लवाण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिस पर तहसीलदार लवाण ने बिना कोई जांच किये च बिना अपीलांट को सुने व बिना मौके की जांच किये बिना दिनांक 29.7.2015 को उक्त नामान्तरण को तस्दीक कर दिया। उक्त अनुवानी अपील में रेस्पोडेन्ट बाजवूद विधिवत तामील कोई भी उपस्थित नही आया है तथा उनके खिलाफ इकतरफा मे अपील है। रेस्पोडेन्ट के नाम नामान्तरण गलत खुला है जो इस बात से सिद्ध है. कि रेस्पोडेन्ट स्वंय बावजूद तामील उपस्थित नही आये है और ना ही उक्त मुकदमे की पैरवी कर रहे है। उक्त अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार लवाण के आदेश दिनांक 29.07.2015 जो नामान्तरण संख्या 321 ग्राम मटवास पर पारित करके मूल्या पुत्र श्योंनारायण के वारिस रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 18 नही होने के बावजूद उनके नाम तस्दीक किया है उसके खिलाफ प्रस्तुत की है। मूल्या पुत्र श्योनारायण नाम का व्यक्ति ग्राम मटवास में कभी भी नही रहा है ना ही कोई वोटरलिस्ट मे उसका नाम रहा है ना ही कोई राशन कार्ड बना है इसके बावजूद भी मूल्या पुत्र श्योनारायण को मटवास मे स्थित भूमि खसरा नंबर 779 लगायत 787, 842 लगायत 846, 880 लगायत 882, 884, 886, 887, 892 कुल किता 21 कुल रकबा 7014 है० में नाम जोड दिया और उक्त मूल्या पुत्र श्योनारायण ग्राम मटवास का रहने वाला नही होने के बावजूद व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 18 ग्राम मटवास के रहने वाले नही होने के बावजूद भी तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 18 मूल्या पुत्र श्योनारायण के वारिस नही होने के बावजूद भी व उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 18 का कोई कब्जा नही होने के बावजूद भी और उक्त भूमि बाबत अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दावा सक्षम न्यायालय मे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर दौसा

विचाराधीन होने के बावजूद व स्टे चल रहा होने के बावजूद तथा उक्त दावा की पक्षकारान व तहसीलदार लवाण को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद तहसीलदार लवाण ने उक्त नामान्तरण विधि के विपरीत तरीके किया है जो निरस्त योग्य है। कानूनन प्रथम 45 दिन तक नामान्तरण तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है उक्त नामान्तरण को ग्राम पंचायत में पेश ही नही किया प्रथम 45 दिन तक तहसीलदार को तस्दीक करने का अधिकार नही था किन्तु जानबूझकर मिलीभगत कर ग्राम पंचायत मे पेश नही किया गया क्यो कि पंचायत को समस्त तथ्यो की पूर्ण जानकारी थी और मिलीभगत से पंचायत के समक्ष पेश नही करके और सीधे तहसीलदार के समक्ष पेश करके उक्त नामान्तरण स्वीकृत करवाया है जो निरस्त योग्य है। मूल्या पुत्र श्योनारायण व रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 18 कोई भी ग्राम मटवास मे नही रहते है ना ही कभी रहे है ना ही इन लोगो का ग्राम मटवास की वोटर लिस्ट में नाम है ना ही इन लोगो का गाम मटवास मे राशनकार्ड है ना ही आधार कार्ड है किन्तु बिना इनके कोई स्थाई दस्तावेज लिये बिना व जहाँ के ये रहने वाले है वहाँ के पटवारी से रिपोर्ट लिये बिना कानून के विपरीत तरीके से इनको मटवास का रहने वाला बताकर और उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया है जो निरस्त योग्य है। माननीय राजस्व मंडल के विभिन्न परिपत्रों के तहत यह सिद्धान्त प्रतिपादित था कि जब किसी भूमि बाबत समक्ष न्यायालय मे वाद चल रहे हो तो नामान्तरण जैसी फिसकल कार्यवाही नही करनी चाहिए और उक्त भूमि बाबत सक्षम न्यायालय मे वाद विचाराधीन था जिसकी नकल भी पेश की गयी है जिसकी रेस्पोडेन्ट व तहसीलदार को भली भांति जानकारी थी किन्तु उसके बावजूद भी नामान्तरण को तस्दीक करने मे कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। कानूनन मौके पर कब्जे की जॉच करके ही नामान्तरण तस्दीक किया जा सकता था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मौके पर कब्जे की कोई जॉच किये बिना व काबिज व प्रभावित व्यक्ति अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरण तस्दीक किया है जो निरस्त योग्य है। नामान्तरण की प्रकिया मे यह स्पष्ट प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य तहसीलदार या गाँव का निवासी है तो उसकी वारिसान की जॉच उसकी संबधित तहसील से करायी जाकर और उसकी रिपोर्ट लेकर ही नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने तो ये तक जाँच नही की उक्त रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 18 कहां के निवासी थे तथा उनके कोई दस्तावेज लिये बिना व उनको फर्जी तरीके से मटवास का निवासी बताकर उक्त नामान्तरण विधि की प्रकिया का दुरूपयोग कर स्वीकृत किया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सी पी सी के साथ दंस्तावेजात पेश किये है जो भी रिकार्ड पर लिया जाकर और अपील को स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 321 ग्राम मटवास दिनांक 29.07. 2015 को निरस्त कर प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाना न्यायोचित है। अपील के साथ दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र किया है। अपील के साथ 96 सपीसी काा प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। अपील जानकारी से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील लवाण दिनांक 29.07.2015 जो नामान्तकरण संख्या 321 ग्राम मटवास पर पारित किया है को निरस्त फरमा[illegible]दार लवाण को भिजवाकर विधि अनुसार सुनवायी व साक्ष्य सबूत का अवस[illegible]र्णय पारित करने का निर्देश फरमावें।

4. अधिवक्ता रेस्पों0 से0 1 से 15 के [illegible] रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन कि[illegible] कि तहसीलदार लवाण के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिवत रूप से पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए तस्दीक किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:42 IST
Reason: SelfAttested

Dr
जिला कलेक्टर, दौसा

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरण सं0 321 ग्राम मटवास पर पारित किये गये निर्णय दिनांक 29.7.2015 को चुनौती दी गई है।

8. प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरण को खारिज करने के संबंध में दिये गये तर्क एवं उनका विश्लेषण इस प्रकार है:–

9. प्रार्थीगण का कहना है कि मूल्या पुत्र श्योनारायण नाम का व्यक्ति मटवास का रहने वाला नहीं है। किन्तु प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही ऐसा कोई नियम नहीं है कि मूल्या पुत्र श्योनारायण ग्राम मटवास का निवासी नही होने से उक्त गांव में खातेदारी अधिकार नहीं रख सकता।

10. प्रार्थीगण का कहना है कि रेस्पों0 सं0 1 से 18 ग्राम मटवास के रहने वाले नहीं है एवं मूल्या पुत्र श्योनारयण के वारिस नहीं है एवं उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। किन्तु प्रार्थीगण गण द्वारा रेस्पों0 सं0 1 से 18 के मूल्या पुत्र श्योनारायण के वारिस नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही उक्त रेस्पों0 के ग्राम मटवास के निवासी होने या नहीं या कब्जा होने या नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उक्त रेस्पों. के ग्राम मटवास के निवासी होने या नहीं होने या कब्जा होने या नहीं होने से उक्त नामान्तरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता है।

11. प्रार्थीगण का कथन कि उक्त आराजी के संबंध में अपीलांट व कुछ रेस्पों0 व अन्य के मध्य एक वाद अधिघोषणा, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर दौसा की अदालत में कालू बनाम भगवान्या चल रहा है जिसमें सहायक कलक्टर दौसा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है जिसके विपरीत जाकर यह नामान्तरण भरा गया है। हमने दस्जावेजों का अवलोकन किया जिससे यह सिद्ध होता है कि यह अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.11.2017 को जारी की गई थी, एवं जिस नामान्तरण को चुनौती दी गई है, वह नामान्तरण सं. 321 ग्राम मटवास दिनांक 29.7.2015 को खोला गया था। अतः उक्त नामान्तरण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से पूर्व खोला गया है।

12. उक्त नामान्तरण (विरासत जरिये हक त्याग) का अवलोकन किया गया। जो कि जांच उपरांत ग्राम के मजमें आम में स्वीकृत किया गया था जिस पर पटवारी हल्का बनियाना, तहसीलदार लवाण एवं आम जन के हस्ताक्षर है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश जो कि तहसीलदार लवाण के द्वारा नामान्तरण सं0 321 ग्राम मटवास पर पारित किये गये निर्णय दिनांक 29.7.2015 को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:45:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04 मार्च, 2026 को [illegible] जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियतसमयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official